

(9)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग फॉर्म 489/2250/1/3/76, भोपाल -  
दिनांक 24. 11. 77 द्वारा निर्धारित स्थानीय मूल निवासी प्रमाणपत्र ।

न्यायालय:- तहसीलदार,

मार्ग 26-ब-121 फॉर्म 92/93

:- मूल निवासी प्रमाणपत्र :-

रेखांकित अनुसार:-

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री-जीवाल कोइ है -  
गांव- आठवीं कुटी - ज़िला - छोटा - निवासीग्राम - आठवीं  
तहसील डिवीरी, ज़िला मंडला फॉर्म 408 का स्थायी मूल निवासी हैं, क्योंकि कहा:-  
कह मध्यप्रदेश में दैदा हुआ/हुई है।

४२३ कह पालक वैभव अभिभावक मध्यप्रदेश में विगत 15 वर्षों से निरंतर निवास कर रहा है।

४३४ उसके पालक में से कोई भी राज्य शासन का नेचारत या तेवा निवृत्त -  
र्घारी अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मियारी है, जो मध्यप्रदेश तेवा में है,

४४५ कह स्वयं या उसके पालक में से कोई भी राज्य में पिछले 5 वर्षों से कोई  
अचल सम्पत्ति, उधोग, संस्था अथवा व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त:-

४५६ उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन कक्ष  
तक, शिवाय, प्राप्त रखी हो, अथवा

४५७ उसने निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा लम से कम मध्यप्रदेश में -  
स्थित शिक्षण संस्था से उत्तीर्ण की हो-

४५८ - उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।

४५९ - आठवीं कुटा की परीक्षा।

४६० - दौधी कुटा की परीक्षा।

४६१ प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख  
न्यायालय की मोहर,

नोट:- जो अंश लागू ना हों, शूप्या उन्हें काट दीजिए।

13/8/93

3/93